हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 19

मंगलवार, 3 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940(शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ० राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री राम लाल ठाकुर, सदस्य ने वन मंत्री द्वारा 'हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10)' को वापिस लिए जाने बारे कार्यसूची में वर्णित प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में विपक्ष के 3 सदस्यों द्वारा इसी विषय पर नियम-62 के अधीन मांगी गई चर्चा की ओर माननीय अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देते हुए कहा- "नियम-62 के अन्तर्गत मुझे 3 माननीय सदस्यों का नोटिस प्राप्त हुआ है और मैंने उसे सरकार को प्रेषित कर दिया है। मेरा प्रयास रहेगा कि चर्चा हो। हमारे पास चर्चा के लिए कल का दिन बचा हुआ है। मैं नोटिस के ऊपर चर्चा हेतु आपको उचित समय दूंगा; आप उस समय उस पर चर्चा करें।

माननीय सदस्य को यह विषय प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाना चाहिए।"

(अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 18 व 138 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गए।

(11.15 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)।

तारांकित प्रश्न संख्याः 420 से 424 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 425 से 460 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 70 से 72 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, प्रारूपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःटी0सी0पी0-(बी)1-1/2017(रूल्ज़) डीएम दिनांक 16.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.01.2018 को प्रकाशित।

(2) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखी ।

3. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

श्री राकेश सिंघा ने नियम-62 के अन्तर्गत "जिला सिरमौर के अन्तर्गत पांवटा साहिब में मै0 इण्डियन टैक्नोमैक कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किए गए 3000 करोड़ रुपये के टैक्स घोटाले" बारे उद्योग मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

उद्योग मंत्री ने उत्तर दिया।

4. <u>विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव</u>

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) को वापिस लिया जाये ।

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश संख्याः 30का हवाला दिया एवं विधेयक को वापिस लेने की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए विधेयक वापिस लने के प्रस्ताव का विरोध किया।

श्री विक्रमादित्य सिंह तथा श्री राम लाल ठाकुर, सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए विधेयक वापस लेने के प्रस्ताव का विरोध किया।

श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य ने व्यवस्था का हवाला देते हुए विधेयक वापसी की प्रकिया को अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश संख्याः 30 की भावना के प्रतिकूल कहा।

अध्यक्ष महोदय ने संबंधित नियमों तथा निर्देशों का उल्लेख करते हुए विधेयक वापिस लेने की प्रक्रिया को नियमानुकूल बताया।

(कांग्रेस विधायक दल के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाज़ी करते हुए विधेयक वापिस लिए जाने का विरोध करने लगे।)

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मंत्री ने सदस्यों द्वारा उठाई गई आशंकाओं का निराकरण करते हुए पुनः हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) को वापिस लेने का प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) वापिस हुआ।

(01.22 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.30 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई)।

(भोजनावकाश के उपरांत 02.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक डा0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

5. विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

"हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4)" पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

"हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3)" पुरःस्थापित हुआ।

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री मुकेश अग्निहोत्री ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कि -

"हिमाचल प्रदेश की जल संरक्षण नीति पर यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री रमेश चंद ध्वाला
2. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल
3. श्री इन्द्र सिंह
4. श्री जगत सिंह नेगी
5. श्री बलबीर सिंह वर्मा
6. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
7. श्री जीत राम कटवाल

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(04.14 बजे अपराह्न श्री रमेश चंद ध्वाला, सभापति, अध्यक्षपीठ पर विराजमान हुए।)

(05.00 बजे सायं सदन की बैठक को 05.15 बजे सायं तब बढ़ाया गया।)

सभापति द्वारा सूचना

इस मान्य सदन की बैठक स्थगित करने से पूर्व मुझे आपको सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने आज शाम 8.00 बजे राज भवन (वर्न्स कोर्ट) में रात्रि भोज का आयोजन किया है इसमें सभी माननीय सदस्य आमन्त्रित है।

(सदन की बैठक 5.08 बजे सायं बुधवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।)